उद्यम प्रोत्साहन संस्थान

कार्यालय आयुक्त, उद्योग, राजस्थान सरकार

F.11 ( ) ... दिनांक 16/02/2019

खुली बोली आमत्रंण प्रपत्र

निविदा सूचना संख्या 01/2018–19

वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस संस्थान के अधीन होने वाले निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु **विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने (DPR)** के कार्य हेतु दोहरी लिफाफा पद्धति से निर्धारित प्रपत्र में बोलियां आंमत्रित की जाती है।

1	2	3	4	5	6
क्र.सं.	**परियोजना विवरण**	**स्थान**	**विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने (DPR) हेतु कार्य**	**विकास कार्य की अनुमानित लागत** (राशि लाख में)	**विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट** (राशि लाख में)
1	अरबन हाट, जयपुर चरण -1	जल महल, जयपुर	विभिन्न विकास कार्य	300.00	5.00
	योग			**300.00**	**5.00**

अन्य विवरण

1	2	3	4	5	6	7
निविदा शुल्क *रू0 में* प्रति निविदा	**धरोहर राशि *रू0 में* प्रति निविदा**	**निविदा जारी *करने की दिनांक* एवं समय**	**निविदा भरने की *अंतिम दिनांक* एवं समय**	**तकनीकी बिड खोलने में दिनांक एवं समय**	**साईट एनालिसिस रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण दिनांक एवं समय**	**वित्तीय बिड खोलने की दिनांक एवं समय**
200	10000/-	16.02.2019 03.00 P.M.	25.02.2019 02.00 P.M.	25.02.2019 05.00 P.M.	26.02.2019 03.00 PM	27.02.2019 03.00 PM

नोट – तकनीकी बिड में सफल पाए गए बोलीदाता को संबंधित अधिशाषी निदेशक, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान द्वारा जरिए दूरभाष/ई–मेल द्वारा साईट एनालिसिस प्लान प्रस्तुतीकरण की सूचना दी जाएगी। *यह प्रस्तुतीकरण राज्य स्तरीय समिति के समक्ष उद्योग भवन जयपुर स्थित कार्यालय में किया जाएगा।*

इस हेतु पंजीकृत निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक, जो कि केन्द्र/राजस्थान में विभिन्न वांछित अधिनियमों में पंजीकृत हो, निर्धारित दिनांक एवं समय तक निविदा प्रपत्र प्राप्त कर भाग ले सकते हैं। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं अथवा राजस्थान लोक उपापन पोर्टल http://sppp.raj.nic.in. एवं विभागीय वेबसाईट http://rajind.rajasthan.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर प्रस्तुत करने की स्थिति में दस्तावेज की लागत का डी.डी./बी.सी. तकनीकी बिड के साथ जमा कराना आनिवार्य है।

UBN No. DSI1819SSOB00038
NIB Code DSI1819A0011
Mobile No 9413237149

16/2/2019

अधिशाषी निदेशक
उद्यम प्रोत्साहन संस्थान

उद्यम प्रोत्साहन संस्थान
कार्यालय आयुक्त, उद्योग, राजस्थान सरकार

निर्माण कार्यो हेतु विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) का कार्य हेतु तकनीकी बिड प्रपत्र

1. निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक :- ....
2. डाक का पता :- ....
3. फोन/मोबाईल नम्बर :- ....
4. ई–मेल :- ....

5- बैंक का नाम :- .... IFSC .... Acc. No. ....

6. बोली दस्तावेजों की लागत रू0 200/– का डीडी/बीसी सं .... दिनांक .... बैंक का नाम .... संलग्न है।
7. बिड सिक्योरिटी राशि रू0 ..../– का डीडी/बीसी सं .... दिनांक .... बैंक का नाम .... संलग्न है।
8. **विधिक/प्रशासनिक मान्यता/अनुज्ञप्ति/पंजीकरण संबंधी सूचना :–**

क्र. सं.	पंजीकरण संबंधित दस्तावेज	पंजीकरण से संबंधित संस्था	पंजीकरण नम्बर	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक संख्या	विशेष विवरण
1	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 **अथवा** इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत **अथवा** इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956/2013 के तहत पंजीकरण **अथवा** काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से मान्यता/अनुज्ञप्ति/पंजीयन					
2	वस्तु एवं सेवा कर का पंजीयन प्रमाण पत्र					
3	पैन कार्ड की प्रति					

4	बैंक खाता पास बुक एवं निरस्त चैक की प्रति					

निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक को विधिक/प्रशासनिक मान्यता/अनुज्ञप्ति/पंजीकरण प्राप्त होना चाहिए, जिसका विवरण निम्नानुसार है –

विधिक/प्रशासनिक मान्यता/अनुज्ञप्ति/ पंजीकरण संबंधी अभिलेखों व अन्य प्रमाण–पत्रों की स्व–हस्ताक्षरित प्रति निविदा बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी।

9. **अनुभव तथा टर्न ओवर संबंधी सूचना** :– निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक फर्म को न्यूनतम 3 वर्ष (2015–16, 2016–17, 2017–18) तक के कार्य का अनुभव होना चाहिए। बोली दाता संवेदक द्वारा गत 3 वर्षों (2015–16, 2016–17, 2017–18) में औसत टर्न–ओवर 50.00 लाख रुपये का होना चाहिये। इस संबंध में सूचना निम्नानुसार है–

क्र.सं.	कार्य	कार्य की लागत	कार्यादेश दिनांक	कार्य से संबंधित संस्था	संलग्नक संख्या	विशेष विवरण

आवश्यकतानुसार पृथक से प्रपत्र संलग्न करें। टर्न–ओवर की गणना हेतु मान्यता प्राप्त CA द्वारा जारी रिपोर्ट की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

10. मैं अधिशाषी निदेशक, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जयपुर द्वारा जारी निविदा बोली आमंत्रण सूचना कमांक 01/2018–19 में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न दस्तावेजों में दी गई अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इस हेतु दस्तावेजों एवं सभी संलग्नकों पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम मय सील

उद्यम प्रोत्साहन संस्थान
कार्यालय आयुक्त, उद्योग, राजस्थान सरकार

निविदा–बोली की सामान्य शर्ते

General Terms & Conditions of Tender Bid: -

1. निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक की पात्रता की शर्ते –

1 निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक को न्यूनतम 3 वर्ष (2015–16, 2016–17, 2017–18) तक के कार्य का अनुभव होना चाहिए। साथ ही उसे अन्य वांछित विधिक/प्रशासनिक मान्यता/अनुज्ञप्ति/पंजीयन प्राप्त होना चाहिए। निविदादाता फर्म को कम्पनीज एक्ट अथवा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक के आर्किटेक्ट कंसल्टेट को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से मान्यता/अनुज्ञप्ति/पंजीयन प्राप्त होना चाहिए।

2 निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक का गत 3 वर्षो (2015–16, 2016–17, 2017–18) में औसत सालाना टर्न–ओवर 50 लाख रूपये होना चाहिये। टर्न–ओवर की गणना हेतु मान्यता प्राप्त CA द्वारा जारी रिपोर्ट लगायी जानी होगी।

3 **निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक को न्यूनतम 3 करोड तक के कार्यो की डिजाईनिंग के कार्य का अनुभव होना चाहिए।**

4 निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक का राजस्थान में कार्यालय संचालित होना चाहिए। इसमें निविदादाता अपना कार्यालय पता अंकित करें।

2. निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक के कार्य संबंधी शर्ते–

1 निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक द्वारा डीपीआर बनाने से पूर्व संभावित कार्यो की सूची संस्थान के अधिशाषी निदेशक साथ तैयार की जायेगी।

2 कार्य पूर्ण करने के बाद आर्किटेक्ट कंसल्टेंट द्वारा **विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने (DPR)** के साथ निम्न सूचना/रिपोर्ट आवश्यक रूप से दी जाएगीः–

  1 **प्रस्तावित कार्यों की उनकी लागत/व्यय राशि सहित सूची** (तालिका के रूप में) व विस्तृत तकमीना (G-Schedule/H-Schedule)

  2 यथानिर्देशित अरबन हाट, जयपुर का **टोटल स्टेशन कन्टूर सर्वे रिपोर्ट** (हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी जिसमें पी.डी.एफ./एम.एस. वर्ड या एक्सेल के साथ–साथ ऑटो–कैड फॉर्मेट भी हो)

  3 कराए जाने वाले कार्यों का ले–आउट, **आर्किटेक्चरल डीटेल वर्किंग ड्राईंग** तथा **थ्री–डी डिजाईन– फ्रॉन्ट एवं साईड ऐलिवेशन** सहित। **आर्किटेक्चरल डीटेल वर्किंग ड्राईंग** में निम्नानुसार बिन्दु होंगे (जहां जो लागू होते हैं) –

SN	Drawing Title
A	**Architectural Drawings**
1	Site Plan
2	Layout Plan
3	Contour Plan
4	Building Plan
5	Building Terrace Floor Plan
6	Building Elevation (Front, Back and Sides)
7	Building Sections & Sectional Elevations for all sides
8	Building Door Window Opening Schedule and drawings
9	Building, roof ridge plan and compound drainage plans
10	Building Wall Panel designing and detailing
11	Pathway Elevation, Sections and paving pattern
12	Building circulation and corridor movement plan
13	Building Column set out/Coordinates set out plans and detailing
14	Boundary Wall Section, Elevations
15	Boundary Wall Panel design and detailing
16	Drawing and sketches of Chattris, Jharokhas, Baradari/Abotti, Pillars, todies, chajjas, kangoora, Mehrab and ornamental works detail drawings
17	Flooring Pattern drawing
18	Tentative 3D view of the project elements
19	Any other, as per requirement
B	**Electrical Drawings**
20	Building Electrical layout drawings
21	Electrical fixture details fitting drawings
22	Electrical conduit & cable laying drawing details
23	Internal & external electrical development drawing details Any other, as per requirement
C	**Signage Drawings**

24	Direction & Description board design and details etc. (if any)
25	Any other, as per requirement
D	**3D Rendered Coloured View**
26	Birds eye view of project
27	Front & Back view of Buildings, entry gates etc.
28	Side views & perspective views etc.
29	Any other, as per requirement

नोटः– निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक द्वारा हार्डकॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी भी देनी होगी। इसी प्रकार सॉफ्ट कॉपी में भी पी.डी.एफ. के साथ–साथ एम.एस. वर्ड या एक्सेल में भी देनी होगी। इसी प्रकार चित्रों व नक्शों के लिए जेपीजी इमेज के साथ ऑटो–कैड फॉर्मेट में डिजाइन प्रस्तुत करनी होगी।

3 सफल निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक को कार्यादेश मिलने पर मौका विजिट के समय संबंधित अधिकारी, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान कार्यालय से निम्न आदेश/सूचना साथ प्रदान की जाएगी।

1. भूमि की सूची/नक्शा,

11. सफल निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक के कार्मिक को डीपीआर बनाने के कार्य हेतु विजिट के लिए पृथक से किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ते का भुगतान नहीं किया जायेगा।
12. निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक द्वारा अनुबंध के बाद 10 दिवस के अन्तर्गत **विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने (डीपीआर-DPR)** प्रस्तुत कर दी जानी होगी। यदि **उद्यम प्रोत्साहन संस्थान** द्वारा कार्ययोजना में कोई संशोधन किया जाता है, तो उसमें परस्पर सहमति से समयावधि बढाई जा सकेगी।
13. संस्थान द्वारा कंसल्टेंट को कार्य की आवश्यकता अनुसार मोका विजिट हेतु बुलाया जा सकता है, जिसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। इसमें यदि कोई डिजाईनिंग में माईनर करेक्शन होंगे तो निविदादाता उसे निःशुल्क करेगा।

3. संबंधित नियमों एवं विधिक प्रावधानों (जहां पर जो लागू होते हों) **की पालना से संबंधित शर्तें–**

1 **राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम– 2012 एवं नियम– 2013** तथा **सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम** एवं इस संबंध में **वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन, आदेश एवं निर्देश** आदि प्रभावी रहेंगे।

2 निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक द्वारा **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम– 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन)**

अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं **कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974** आदि के विधिक प्रावधानों की पालना की जाएगी तथा इसके वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक का होगा।

3 निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक द्वारा नियुक्त श्रमिकों/कार्मिकों की सुरक्षा के लिए समुचित प्रावधान स्वयं के स्तर पर करने होंगे।

4 कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देन ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक/दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

5 निविदादाता/बोलीदाता/ संवेदक द्वारा एनेक्सचर– ए, बी, सी व डी के विधिक प्रावधानों की पालना की जाएगी।

4. अन्य शर्तें –

1 निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक को अपनी राशि समस्त कर सहित कोट करनी होगी। अनुमोदित दरों में जीएसटी सहित समस्त कर शामिल है। बिलों में जीएसटी की राशि पृथक से दर्शानी होगी एवं नियमानुसार जीएसटी की राशि संबंधित मद में जमा कराने का दायित्व सफल निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक का होगा। यदि राज्य सरकार द्वारा स्रोत पर जीएसटी कटौती का प्रावधान लागू किया जाता है, तो नियमानुसार स्रोत पर जीएसटी की कटौती की जायेगी।

5. प्रक्रिया संबंधी प्रावधान–

1 निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नानुसार तीन अलग–अलग लिफाफे में वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।

1 **लिफाफा संख्या– 1** – इसमें तकनीकी बोली से संबंधित दस्तावेज रखे जायेंगे इस पर स्पष्ट रूप से इसका अंकन किया जायेगा। इसमें मुख्यतः निम्न अभिलेख होंगे– निविदा आवेदन पत्र, निविदादाता की पात्रता की शर्तों के अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र व अभिलेख, निविदा शुल्क जमा कराने की रसीद या प्रति, धरोहर राशि जमा कराने का साक्ष्य/बैंक डी.डी., निविदा में निर्धारित अन्य दस्तावेज।

2 **लिफाफा संख्या– 2** – विजिट के उपरान्त प्रस्तुत **साईट एनालिसिस रिपोर्ट**।

3 **लिफाफा संख्या– 3** – इसमें **वित्तीय बोली/निविदा निर्धारित प्रपत्र** में भरकर पृथक से सील बन्द लिफाफे में रखा जायेगा। वित्तीय बोली/निविदा में निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक द्वारा जो दर दी जायेगी, वह समस्त कर सहित होगी।

नोट :– तकनीकी बोली तथा **वित्तीय बोली** से संबंधित दस्तावेज दो अलग–अलग लिफाफों में बन्द कर जमा कराये जायेंगे–

2 तकनीकी बिड तथा वित्तीय बिड के बीच में **साईट एनालिसिस रिपोर्ट** प्रस्तुत करने की कार्यवाही रखी गई है। यह रिपोर्ट वस्तुतः कन्सल्टेंट के विजन प्लान को प्रस्तुत करती है। तकनीकी बिड में क्वालिफाई करने पर सर्वप्रथम **साईट एनालिसिस रिपोर्ट** खोली जाकर निविदादाता को प्रस्तुतीकरण का अवसर दिया जाएगा। इसमें **उद्यम प्रोत्साहन संस्थान** द्वारा निर्धारित समिति एवं स्थान पर निविदादाता को **साईट एनालिसिस रिपोर्ट** का प्रस्तुतीकरण करना होगा। इसमें पात्र हुए निविदादाता की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी। तकनीकी बोली में क्वालिफाईड निविदादाता देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित समिति के समक्ष निर्धारित स्थान पर निविदादाता को **साईट एनालिसिस रिपोर्ट** का प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया जाएगा, जिसकी सूचना पृथक से दी जाएगी।

3 निविदा की विधिमान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

6. मूल्यांकन की कसौटी :–

1. निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि से पहले चिन्हित भूमि का कार्यस्थल निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है। कार्य स्थल का निरीक्षण किये जाने के उपरांत उक्त परियोजना कार्य हेतु **साईट एनालिसिस रिपोर्ट** बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। **साईट एनालिसिस रिपोर्ट** एक **कंसेप्ट/विजन** प्लान होगी, जिसमें कार्य स्थल के वर्तमान स्वरूप के चित्रों के साथ उसके लिए प्रस्तावित कार्य सम्पादन की योजना, **टेंटेटिव ले–आउट व एलीवेशन प्लान** व कार्यो पर संभावित व्यय के आकलन (फोरकास्ट एस्टीमेट) के साथ प्रस्तुत होगी।
2. उक्त परियोजना हेतु निर्धारित समय तक **साईट एनालिसिस रिपोर्ट** एवं वित्तीय बिड प्राप्त होने के उपरांत संबंधित फर्म/व्यक्ति/कम्पनी को प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया जाएगा और सबसे पहले **साईट एनालिसिस रिपोर्ट** की प्रस्तुति पर विचार किया जाएगा।
3. तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में सफल/क्वालिफाइड निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक **को साईट एनालिसिस रिपोर्ट** के प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया जाएगा। **उद्यम प्रोत्साहन संस्थान** द्वारा गठित समिति के **मूल्यांकन में अनुमोदित** निविदादाता/बोलीदाता/संवेदकों में उनकी न्यूनतम दर के आधार पर चयन किया जाएगा।

7. निविदा बोली प्रतिभूति राशि *(Tender Bid Security)* ***जमा कराने की प्रक्रिया :–*** निविदा बोली प्रतिभूति राशि " **उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जयपुर** " के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करायी जाएगी। सफल निविदादाता/एनालिसिस /संवेदक के अनुबन्ध निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देने पर या उपापन प्रकिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही निविदा बोली प्रतिभूति निविदादाता/बोलीदाता/संवेदकों को लौटा दी जावेगी।

4 **निविदा बोली प्रतिभूति का समपहरण** (Forfeiture of Tender Bid Security) बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा–

1 जब निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक निविदा बोली खुलने, किन्तु निविदा बोली स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें परिवर्तन (Modification) करता है।

2 जब निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक विनिर्दिष्ट समय के भीतर संविदा/अनुबन्ध निष्पादित नहीं करता है।

3 जब निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक स्वीकृति की सूचना के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

4 जब निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ नही करता है।

5 *यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट* बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

5 **संविदा/अनुबन्ध एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति** (Agreement and Performance Security)

1 निविदा बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक को बोली स्वीकृति आदेश पत्र के दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा में प्रदाय आदेश/कार्यादेश (Work Order) की रकम की 5 प्रतिशत राशि **कार्य सम्पादन प्रतिभूति** (Performance Security) के रूप में डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक " **उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जयपुर**" के नाम पर जमा करानी होगी एवं उक्त प्रदाय आदेश/कार्यादेश (Work Order) की रकम के 0.25 प्रतिशत (अधिकतम 15000 रूपये) के बराबर राशि के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप– 17 में एक **अनुबन्ध पत्र** निष्पादन करना होगा।

2 सफल निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक की दशा में **बोली प्रतिभूति** की रकम *कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी* जा सकती है, यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।

3 कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

6 **कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit)** :– निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (Work Performance Security Deposit) का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों मे समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा।

1 जब निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक द्वारा संविदा/अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

2 जब निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक सेवा की आपूर्ति निर्धारित समय अवधि में अथवा सन्तोषजनक रूप में करने में असफल रहा हो।

नोटः– कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामले में निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

7 **भुगतान (Payment)** – सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। संवेदक को भुगतान चार चरणों में किया जोयगा, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

1. **प्रथम चरणः–** 25 प्रतिशत (कार्य का ले–आउट प्लान एवं नक्शा, पूर्व एवं वर्तमान में प्रस्तावित)
2. **द्वितीय चरणः–** 25 प्रतिशत (कार्य का आदेशानुसार **थ्री–डी मॉडल** प्रस्तुत करने पर)
3. **तृतीय चरणः–** 30 प्रतिशत (**डीपीआर** प्रस्तुति पश्चात्)
4. **चतुर्थ चरणः–** 20 प्रतिशत (अंतिम किश्त राशि कार्यादेश अनुसार डीपीआर के अनुमोदन पश्चात)

8 **परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages)** परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक सेवा सप्लाई करने में असफल रहा हैः–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए–**2.5%**

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक– **5.0%** किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधि अवधि से अनधिक किन्तु– **7.5%** विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि के तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए– **10.0%**

(ङ) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि– **10.0%** हागी।

नोटः– यदि निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सल्पाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सल्पाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

यदि सेवा की सल्पाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेंगी।

9 **स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन/निर्वचन** :– निविदा/बोली के निर्वचन के संबंध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो, तो उसमें " **अध्यक्ष, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जयपुर**" अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन/निर्वचन किया जा सकेगा।

उद्यम प्रोत्साहन संस्थान
कार्यालय आयुक्त, उद्योग, राजस्थान सरकार

—::घोषणा पत्र::—

निविदा बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है वास्तव में ई–बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा "अधिनियम" की धारा 46 एवं "नियम" के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाएं, तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/ एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप मे समपहत कर किया जा सकेगा तथा निविदा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

उद्यम प्रोत्साहन संस्थान
कार्यालय आयुक्त, उद्योग, राजस्थान सरकार

Annexure-'A'

COMPLIANCE WITH THE CODE OF INTEGRITY AND NO CONFLICT OF INTEREST:-

Any person participating in a procurement process shall-

a) *Not offer any bribe, reward of gift or any material benefit either directly or indirectly in* exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
b) Not misrepresent or omit misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any part or to its property to influence the procurement process;
f) Not obstruct any investigation or audit of procurement process,
g) Disclose conflict of interest, if any, and
h) Disclose any previous transgression with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

-: CONFLICT OF INTEREST:-

The bidder participating in a bidding process must not have a conflict of interest. A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in bidding process if, including but not limited to:

a. Have controlling partners/shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decision of the procuring entity regarding the bidding process; or
e. The bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one Bid; or
f. The bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, works or services that are the subject of the Bid; or
g. The bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired by the Procuring Entity as engineer-in charge/consultant for the contract.

Signature of Bidder with Seal

Date:

Name:
Designation:
Address:

उद्यम प्रोत्साहन संस्थान
कार्यालय आयुक्त, उद्योग, राजस्थान सरकार

Annexure-'B'

DECLARATION BY THE BIDDER REGARDING QUALIFICATIONS

In relation to my/our Bid submitted to Commissioner Industries, Jaipur for procurement of **M/s** .... In response to their notice inviting Bids No......................Dated ....I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the bidding Document issued by the procuring entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document;
3. I/we are not insolvent, in receivership bankrupt or being would up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements of misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a *period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have* been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the bidding document, which materially affects fair competition.

Signature of Bidder with Seal

Date:
Place:

Name:
Designation:
Address:

उद्यम प्रोत्साहन संस्थान
कार्यालय आयुक्त, उद्योग, राजस्थान सरकार

Annexure-'C'

GRIEVANCE REDRESSAL DURING PROCUREMENT PROCESS

The designation and address of the First Appellate Authority is
....
....
....

The designation and address of the Second Appellate Authority is
....
....
....

1. Filling an appeal:-

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the bidding document within a period of ten days, from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or ground on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial Bids, and appeal related to the matter of financial Bids may be filed only by a bidder whose technical Bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under Para (1) will deal with the appeal as expeditiously as possible and will Endeavour to dispose it off within thirty days from the date of the appeal.

3. If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4. Appeal not to lie in certain cases:-

No appeal will lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement;
(b) Provision limiting participating of bidders in the Bid process;
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) Cancellation of procurement process;
(e) Applicability of the provisions of confidentiality

5. Form of Appeal:-

(a) An appeal under Para (1) or (3) above will be in the annexed Form along with many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal will be accompanied by an order appealed against, if any affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case maybe, in person or through registered post or authorized representative.

6. Fee for filling appeal

(a) Fee for first appeal will be rupees two thousand five hundred and for second appeal will be rupees ten thousand, which will non-refundable.
(b) The fee will be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7. Procedure for disposal of appeal:-

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case maybe, upon filing of appeal, will issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, will,-
  (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
  (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned will pass an order in writing and provide the copy of order to the parties free of cost.
(d) The order passed under sub-clause © above will be place on the State Public Procurement Portal.

Date:
Place

Signature of Bidder with Seal
Name:
Designation:
Address:

उद्यम प्रोत्साहन संस्थान
कार्यालय आयुक्त, उद्योग, राजस्थान सरकार

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. ………………………..of…………………..
Before the …………………………………………………………(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of Appellant:

   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (s)

   (i)

   (ii)

   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy) or a statement of a decision, action or mission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposed to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of Affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(supported by an affidavit)

7. Prayer :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…
Place…………………..
Date…………………..

Appellant's Signature

Annexure-'D'
ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT

1. **Correction of Arithmetic Errors:-**

Provided that a financial Bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

(i) If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price will prevail and the total price will be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted will govern and the unit price will be corrected;

(ii) If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the sub totals will prevail and the total will be corrected; and

(iii) If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words will prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures will prevail subject to clause (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid will be disqualified and its Bid security will be forfeited or its Bid securing declaration will be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

The quantity mentioned in the Bid is the minimum approximate quantity that the bidder will have to compulsorily supply to specified destination.

(a) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or service originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit process or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(b) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procure less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of contract.

(c) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity will not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity will be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred will be recovered from the supplier.

3. **DIVIDING QUANTITIES AMONG MORE THAN ONE BIDDER AT THE TIME OF AWARD (IN CASE OF PROCUREMENT OF GOODS):-**

As a general rule all the supply will be taken from successful bidder, whose Bid is accepted, However, when it is considered that the quantity of the subject matter of supply

to be supplied is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose Bid is accepted to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose Bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidders, in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose Bid is accepted.

Date:
Place:

Signature of Bidder with Seal
Name:
Designation:
Address:

उद्यम प्रोत्साहन संस्थान
कार्यालय आयुक्त, उद्योग, राजस्थान सरकार

—:वित्तीय बिडः—

वित्तीय बोली/प्राईस बिड निम्नानुसार प्रपत्र में भरकर पृथक से लिफाफे में बन्द कर निविदा के साथ प्रस्तुत करें। लिफाफे पर बडे अक्षरों में वित्तीय बोली/प्राईस बिड आवश्यक रूप से लिखें।

वित्तीय बिड— डीपीआर कार्य हेतु प्रस्तावित दर प्रति डीपीआर

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र.सं.	परियोजना विवरण	स्थान	विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) हेतु कार्य	विकास कार्य की अनुमानित लागत (राशि लाख में)	DPR की अनुमानित लागत (राशि लाख में)	विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रस्तावित लागत	
						(राशि अंकों में)	(राशि शब्दो में)
1	अर्बन हाट, जयपुर चरण - 1	जल महल, जयपुर	विभिन्न विकास कार्य	300.00	5.00		
			योग	300.00	**5.00**		

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय सील